इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 324] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 5 जुलाई 2011—आषाढ़ 14, शक 1933

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2011

क्र. एफ-6-8-2010-नियम-चार.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 38-क के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''**38-ख. दत्तक ग्रहण अवकाश**—महिला शासकीय सेवकों को बच्चा दत्तक लेने पर ''दत्तक ग्रहण अवकाश'' निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रदान किया जाएगा :—

(एक) दत्तक ग्रहण अवकाश ऐसी दत्तकग्राही माता को अनुज्ञेय नहीं होगा जिसके दत्तक लेते समय पहले से ही प्राकृतिक रूप से जन्मे एक से अधिक जीवित बच्चें हों;

(दो) यह सुविधा दो बच्चों के दत्तक ग्रहण करने तक ही अनुज्ञेय होगी;

(तीन) दत्तक ग्रहण अवकाश दत्तक लिए गए बच्चे की आयु एक वर्ष की आयु होने तक प्रदान किया जाएगा;

(चार) दत्तक ग्रहण अवकाश अधिकतम 67 दिवस की अधिकतम सीमा के अध्यधीन दिया जायेगा;

(पांच) ''दत्तक ग्रहण अवकाश'' की निरंतरता में दत्तकग्राही माता को दत्तक लिए बच्चे की एक वर्ष की आयु सीमा के अध्यधीन एक वर्ष की कालावधि तक के लिए, अन्य प्रकार के देय और अनुज्ञेय अवकाश, यदि आवेदन किया है (अदेय अवकाश तथा बिना चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के 60 दिनों से अनधिक लघुकृत अवकाश को सम्मिलित करते हुए) प्रदान किया जा सकेगा;

(छह) दत्तक ग्रहण अवकाश की कालावधि के दौरान उसे अवकाश में प्रस्थान करने के ठीक पूर्व प्राप्त होने वाले वेतन के समान अवकाश वेतन देय होगा;

(सात) दत्तक ग्रहण अवकाश, अवकाश लेखे में विकलित नहीं किया जाएगा.''

ये नियम राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

No. F-6-8-2010-Rules-IV.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Civil Services (Leave) Rules, 1977, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, after rule 38-A, the following rule shall be inserted, namely :—

"**38-B Child adoption leave**—Grant of child adoption leave to the female Government servants on adoption of child shall be subject to the following conditions :—

(i) child adoption leave shall not be admissible to an adoptive mother already having more than one surviving natural born children at the time of adoption;

(ii) this facility shall be admissible upto two adoption of child;

(iii) child adoption leave shall be granted upto the age of one year of the adopted child;

(iv) child adoption leave shall be granted subject to the maximum limit of 67 days;

(v) in continuation of "child adoption leave" the adoptive mothers may also be granted, if applied for, leave of other nature due and admissible (including leave not due and commuted leave not exceeding sixty days without production of medical certificate) for a period upto one year subject to limit of one year age of the adopted child;

(vi) during the period of child adoption leave, she shall be paid leave salary equal to the pay drawn immediately before proceeding on leave;

(vii) child adoption leave shall not be debited against the leave account."

These rules shall come into force from the date of publication of this notification in the official Gazette.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. पी. सिंघल, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011